



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1207]

नई दिल्ली, बुधवार मार्च 13, 2019/फाल्गुन 22, 1940

No.1207]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2019/PHALGUNA 22, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

का.आ. 1350(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (xi) के उप-खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्मित औषधि के लिए निम्नलिखित पदार्थों, साल्ट्स और इसकी सामग्री की घोषणा करती है, अर्थात्: -

- (i) कारफेंटानिल: मेथाइल 1-(2-फेनी लेथाइल)-4-[फेनाइल(प्रोपनाइल)अमीनो]पाइपेरीडाइन-4-कारबॉक्सीलेट;
- (ii) ऑक्फेन्टानिल: एन-(2-फ्लूओरोफेनाइल)-2-मेथॉक्सी-एन-[1-(2-फेनाइलेथाइल)पाइपेरीडिन-4-]एसेटामाइड;
- (iii) फ्यूरनाइलफेंटानाइल: एन-फेनाइल-एन-[1-(2-फेनाइलेथाइल)पाइपेरीडिन-4-यल]फ्यूरान-2-कारबॉक्सामाइड;
- (iv) एक्रिलॉइलफेंटानाइल(एक्रिलफेंटानाइल): एन-फेनाइल-एन-[1-(2-फेनाइलेथाइल) पाइपेरीडिन -4-यल]प्रोप-2-एनामाइड;
- (v) 4-फ्लूओरोयसोब्यूटायरफेंटानाइल: एन-(4-फ्लूओरोफेनी)-2-मेथाइल-एन-[1-(2- फेनाइलेथाइल) पाइपेरीडिन -4-यल]प्रोपेनामाइड;
- (vi) टेट्राहाइड्रोफ्यूरानाइलफेंटानाइल: एन-फेनाइल-एन-[1-(2-फेनाइलेथाइल)पाइपेरीडिन-4-यल]ऑक्सोलेन-2-कारबॉक्सामाइड ।

[फा.सं. एन-11011/1/2018-एनसी-II]

टी.के. सतपथी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2019

S.O. 1350(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substances, salts and preparations thereof to be manufactured drugs, namely: —

- (i) Carfentanil: Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propionyl)amino]piperidine-4-carboxylate;
- (ii) Ocfentanil: N-(2-Fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide;
- (iii) Furanylfentanyl: N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide;
- (iv) Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl): N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide;
- (v) 4-Fluoroisobutyrfentanyl:N-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propenamide;
- (vi) Tetrahydrofurfanylfentanyl: N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide.

[F. No. N-11011/1/2018-NC-II]
T.K. SATPATHY, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

का.आ. 1351(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985(1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (vii)क) और (xxiii)क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा संख्या का.आ. 1055 (अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 238ZH और इससे संबद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियों का समावेशन किया जाएगा, अर्थात्:—

क्र. सं.	स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम (आईएनएन)) का नाम	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रसायनिक नाम	अल्प मात्रा (ग्रा. में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्रा./किग्रा.)
1	2	3	4	5	6
"238ZI	कारफेंटानिल		मेथाइल 1-(2-फेनी लेथाइल)-4-[फेनाइल(प्रोपनाइल)अमीनो]पायपरीडाइन-4-कारबॉक्सीलेट	0.005 ग्राम	0.1 ग्राम;
238ZJ	ऑफेंटानिल		एन-(2-फ्लूओरोफेनाइल)-2-मेथाक्सी-एन-[1-(2-फेनाइलेथाइल)पाइपरीडिन-4-yl]एकेटेमाइड	0.005ग्राम	0.1 ग्राम;
238ZK	फुरानाइलफेंटानाइल		एन-फिनाइल-एन-[1-(2-फिनाइलेथाइल)पाइपरीडाइन-4-yl]फुरान-2-कारबॉक्सामाइड	0.005ग्राम	0.1 ग्राम;

238ZL	एक्रीलॉइलफेनटानाइल	एक्राइलफेनटानाइल	एन-फिनाइल-एन-[1-(2- फिनाइलेथाइल) पाइपेरीडाइन-4- वाई1]प्रोप-2-एनामाइड	0.005ग्राम	0.1ग्राम;
238ZM	4-फ्लूओरोआइसोबुटायर फेंटानाइल	4-एफआईबीएफ, पीएफआईबीएफ	एन-(4-फ्लूओरोफेनी)-2-मेथाइल-एन- [1-(2- फिनाइलेथाइल) पाइपेरीडाइन- 4-यल]प्रोपेनामाइड;	0.005ग्राम	0.1ग्राम;
238ZN	टेट्राहाइड्रोफ्यूरानाइलफेंटाइ ल	टीएचएफ	एन-फेनाइल-एन-[1-(2- फिनाइलेथाइल) पाइपेरीडाइन-4- यल]ऑक्सोलेन-2-कारबॉक्सामाइड	0.005ग्राम	0.1ग्राम;
238ZO		एबी- सीएचएमआईएनएसीए	एन-[(2S)-1-अमीनो-3-मेथाइल-1- आफक्सोबुटान-2-यल]-1- (साइक्लोहेक्सिलमेथाइल)-1एच- इंडाज़ोल-3-कारबॉक्सामाइड	2ग्राम	50ग्राम;
238ZP		5एफ-एडीबी (5एफ- एमडीएमबी- पीआईएनएसीए)	मेथाइल(2एस)-2-{1-(5- फ्लूओरोफेंटाइल)-1एच-इंडाज़ोल-3- कारबोनाइलअमीनो}-3,3- डाइमिथाइलबुटानोएट	2ग्राम	50ग्राम;
238ZQ		एबी-पीआईएनएसीए	एन-[(2S)-1-अमीनो-3-मेथाइल- 1ऑक्सोबुटान-2यल]-1-पेंटाइल एच- इंडाज़ोल 3-कारबॉक्सामाइड	2ग्राम	50ग्राम;
238ZR		यूआर-144	(1-पेन्टी-1एच-इंडोल-3- यल)(2,2,3,3- टेट्रामरथाइलसाक्लोप्रोफाइ)मेथानोन	2ग्राम	50ग्राम;
238ZS		5F-पीबी-22	क्वीनोलिन-8-यल 1-(5- फ्लूरोपेन्थिल)-1एच-इंडोल-3- कारबॉक्सिलेट	2ग्राम	50ग्राम;
238ZT	4-फ्लूओरोएमफेटामाइन	4-एफए	1-(4-फ्लूरोफेनाइल) प्रोपन-2-अमीनो	2ग्राम	50ग्राम”.

[फा.सं. एन-11011/1/2018-एनसी.III]

टी.के.सतपथी, अवर सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना संख्या का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के तहत, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्या का.आ. 2941 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2009, का.आ. 1430 (अ), दिनांक 21st जून, 2011, का.आ. 375 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015, का. आ. 2375(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, का.आ. 384 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का.आ. 822(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018 और का.आ. 1762(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 के तहत संशोधित किया गया था।

NOTIFICATIONNew Delhi, the 13th March, 2019

S.O. 1351(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (viia) and (xxiia) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance,

Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely: —

In the said notification, in the Table, after serial number 238 ZH and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

S. No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name (INN))	Other non-proprietary name	Chemical Name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./ kg.)
1	2	3	4	5	6
238ZI	Carfentanil		Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propionyl)amino]piperidine-4-carboxylate	0.005 gm	0.1 gm;
238 ZJ	Ocfentanil		N-(2-Fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide	0.005 gm	0.1 gm;
238 ZK	Furanylfentanyl		N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide	0.005 gm	0.1 gm;
238 ZL	Acrylylfentanyl	Acrylfentanyl	N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide	0.005 gm	0.1 gm;
238ZM	4-Fluoroisobutyrfentanyl	4-FIBF, pFIBF	N-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propenamide;	0.005 gm	0.1 gm;
238 ZN	Tetrahydrofurfanylfentanyl	THF	N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide	0.005 gm	0.1 gm;
238 ZO		AB-CHMINACA	N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide	2 gm	50 gm;
238 ZP		5F-ADB (5F-MDMB-PINACA)	Methyl(2S)-2-{1-(5-fluorophenyl)-1H-indazole-3-carbonylamino}-3,3-dimethylbutanoate	2 gm	50 gm;
238 ZQ		AB-PINACA	N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide	2 gm	50 gm;
238 ZR		UR-144	(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone	2 gm	50 gm;
238 ZS		5F-PB-22	Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate	2 gm	50 gm;
238 ZT	4-Fluoroamphetamine	4-FA	1-(4-Fluorophenyl) propan-2-amine	2 gm	50 gm".

[F. No. N-11011/1/2018-NC. II]
T.K. SATPATHY, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2941 (E), dated the 18th November, 2009, S.O. 1430 (E), dated the 21st June, 2011, S.O. 375 (E) dated the 5th February, 2015, S. O. 2375(E), dated the 12th July, 2016, S.O. 384 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 822(E), dated the 27th February, 2018 and S.O. 1762(E), dated the 26th April, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

का.आ. 1352(अ).— जबकि केंद्र सरकार, जानकारी और प्रमाणों, जो इसके लिए उपलब्ध हो गया है, प्रकृति और प्रभाव के संबंध में और निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या सिंथेटिक) या प्राकृतिक सामग्री या किसी भी साल्ट या इसके दुरुपयोग की गुंजाइश के आधार पर ऐसे पदार्थों या सामग्रियों की तैयारी, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और मनःप्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन 1971 में शामिल किए गए बदलाव, कि निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या साल्ट्स को जोड़ना आवश्यक है या ऐसी तैयारी मादक पदार्थों की सूची में पदार्थ या ऐसी सामग्री के आधार पर संतुष्ट है जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) (एतश्मिनपश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में यथा संदर्भित) की अनुसूची में निर्दिष्ट है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम संख्या 110Y और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को समावेशित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रसायनिक नाम
110Z		एबी-सीएचएमआईएनएसीए	एन-[(2S)-1-अमीनो-3-मिथाइल-1-ऑक्सोबुटन-2-यल]-1-(साइकोहेक्सिलमिथाइल)-1एच-इंडाज़ोल-3-कार्बॉक्सामाइड
110ZA		5एफ-एडीबी (5एफ-एमडीएमबी-परडाइगएनएसीए)	मिथाइल(2एस)-2-{1-(5-फ्लूओरोफेन्टाइल)-1एच-इंडाज़ोल-3-कार्बोनाइलअमीनो}-3,3-डायमिथाइलबुटानोएट
110ZB		एबी-पीआईएनएसीए	एन-[(2S)-1-अमीनो-3-मिथाइल-1ऑक्सोबुटान-2यल]-1-पेनटी1एच-इंडाज़ोल 3-कार्बॉक्सामाइड
110ZC		यूआर-144	(1-पेन्टी-1एचव-इंडोल-3-यल)(2,2,3,3-टेट्राएमरथाइलसाइक्लोप्रोफाइल)मेथानोन
110ZD		5एफ-पीबी-22	क्विनोलिन-8-yl1-(5-फजलूरोपेनथाइल)-1एच-इनोडोल-3-कार्बॉक्सीलेट
110ZE	4-फ्लूओरोमफेटामाइड	4-एफए	1-(4-फ्लूओरोफेनाइल) प्रेपान-2-अमीनो"।

[फा. सं. एन-11011/1/2018-एनसी. II]

टी.के सतपथी, अवर सचिव

टिप्पणी: स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) हेतु अनुसूची को संख्या का.आ. 785(अ) दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के तहत प्रथम संशोधित किया गया था और तत्पश्चात् संख्या का.आ. 49(अ), दिनांक 8 जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ), दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ), दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 2 जनवरी, 2004, का. आ. 311 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2011, का. आ. 376 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, का. आ. सं0. 2374 (अ), दिनांक 12 July, 2016, का.आ. सं0. 1383 (अ), दिनांक 2 May, 2017, का.आ. 821(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और का.आ. 3448(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2018 के तहत संशोधित किया गया।

NOTIFICATIONNew Delhi, the 13th March, 2019

S.O. 1352(E).— Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of and the scope for abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances 1971, that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely: —

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110 Y and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: —

SI. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
“110Z		AB-CHMINACA	N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
110ZA		5F-ADB (5F-MDMB-PINACA)	Methyl(2S)-2-{1-(5-fluorophenyl)-1H-indazole-3-carboxylamino}-3,3-dimethylbutanoate
110ZB		AB-PINACA	N-[(2S)-1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2yl]-1-pentylH-indazole 3-carboxamide
110ZC		UR-144	(1-Penty-1 H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone
110ZD		5F-PB-22	Quinolin-8-yl 1-(5-fluorophenyl)-1H-indole-3-carboxylate
110ZE	4-Fluoroamphetamine	4-FA	1-(4-Fluorophenyl) propan-2-amine”.

[F. No. N-11011/1/2018-NC. II]

T.K. SATPATHY, Under Secy

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended *vide* number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S. O. 311 (E), dated the 10th February, 2011, S. O. 376 (E), dated the 5th February, 2015, S. O. No. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. No. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1761(E), dated the 26th April, 2018 and S.O. 3448(E) dated the 13th July, 2018.